रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022021-225317
CG-DL-E-20022021-225317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
No. 721] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

का.आ. 789(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2437 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 जुलाई, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा के सेपाहीजाला जिले में स्थित है, जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन अधिसूचना सं.एफ. 8 (50)/एफओआर-वन्यजीव/86/55164 के अधीन तारीख 2 फरवरी, 1987 को घोषित किया गया था, इसका क्षेत्रफल 18.54 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है। अभयारण्य के कोर क्षेत्र के अंतर्गत, अधिसूचना सं.एफ.8 (196)/एफओआर-वन्यजीव-2004 आईएनपी/33856-86 के द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2008 को 5.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। अब अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के साथ निहित सभी प्रतिबंध है, जब तक कि मुख्य वन्यजीव वार्डन, त्रिपुरा द्वारा वन्यजीव

(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1986 का 29) के उपबंधो के अनुसार स्थानीय जनता द्वारा कोई क्रियाकलाप या किसी को अनुमति नहीं दी जाती है;

और, सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति और जीवजंतु की विविधता जैसे फयरे लंगूर और क्लुडिड लैपर्ड के अलावा रहेसुस मकाक, सूअर-टैलेड मकाक, कप्पेड लंगूर, मुंजक, जंगली सूअर, सियार, साही, आदि है। सीवेट, तेंदुआ बिल्ली, बनबिलाव, पैंगोलिन, स्लो लोरिस, लार्ज भारतीय सीवेट, छोटा भारतीय सीवेट, सामान्य पाल्म सीवेट, हिमालयन पाल्म सीवेट, फ्लाइंग गिलहरी, क्रैब ईटिंग नेवला, येलो थ्रोटेड मार्टेन, भारतीय मॉनीटर छिपकली आदि की चार प्रजातियां विद्यमान हैं। उपरोक्त के अलावा पक्षी जैसे कबूतर, कलिज तीतर, डोंगोस, रेड जंगल फ्वोल, पाइड हॉर्नबिल, चित्तीदार कबूतर, किंगफिशर, पैराकेट, भारतीय रोलर, काइट, व्हिस्टलिंग टेल्स, ओपन बिल स्टोर्क, कोर्मोरेंट, रेड वाट्टलेड लैपविंग आदि भी पाए जाते है;

और, सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की लगभग 124 प्रजातियाँ की पहचान की गई है और संरक्षित क्षेत्रों में 120.50 हेक्टेयर (52 संख्या) के क्षेत्र में बड़ी संख्या में जल निकाय है, जिनमें से अमृत सागर (25.35 हेक्टेयर) और रतियाबिल (20.75 हेक्टेयर) बड़े आकार के है जो जलीय जैव–विविधता को बढ़ाते है। वनस्पति में वृक्षों की 142 प्रजातियां, झाडियों की 55 प्रजातियां, जड़ी बूटियों की 90 प्रजातियां, पर्वरोहियों की 35 प्रजातियां, इपीफाइट्स की 11 प्रजातियां, प्टेरीडोफाइट्स की 10 प्रजातियां, बांस की 7 प्रजातियां सम्मिलित हैं। मुख्य प्रजातियों के कुछ उदाहरण *शोरिया रोबस्टा, कैसिया प्रजाति, आर्टोकार्पस चपलासा, स्चीमा वाल्लिचि, सिजियम कुर्रानी, लेगरस्ट्रोइमिया प्रजाति, टर्मिनलिया प्रजाति, अल्बेजिया प्रजाति, माल्लोटस,डील्लेनिया, बउहिनिया प्रजाति, फिकुस्स्पेइस, लिन्नेया प्रजाति, डिप्टरोकार्पस टर्बिनेटस, विटेक्स, अल्स्टोनिया, स्कॉलरस, मेसुआ फेर्रिया, बोम्बक्स केइबा,* आदि हैं;

और, सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जैव-विविधता प्रतिनिधियों, स्थानिकता, समृद्ध प्रजातियों, भू-आकृति संबंधी विशेषता और सौंदर्य और सांस्कृतिक मूल्यों सहित अद्वितीय भूमि उपयोग पद्धतियों सहित जैव–विविधता मूल्यों में समृद्ध है और अभयारण्य में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आर ई टी) प्रजातियों के उदाहरण में क्लुडिड लैपर्ड *(नेओफेलिस नेबुलोसा),* हार्नबिल*(अंथेराकोकेरोस कोरोनाटुस),* मॉनीटर लिर्जाड *(वारानुस बेंगालेंसिस*), साही *(अंथेरूरूस्मेकरोरूस अस्सामेंसिस), सीवेट (हिमालयन पाल्मकिवेटस),* आदि शामिल हैं;

और, सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य के सेपाहीजाला जिला के सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 10 मीटर (उत्तर, उत्तर-पश्चिमी, पश्चिम और दक्षिण में) से 50 मीटर (पूर्वी भाग) विस्तारित क्षेत्र को सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 10 मीटर से 50 मीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 3.12 वर्ग किलोमीटर है। राज्य सरकार ने क्षेत्र और पारिस्थितिकी

संवेदी जोन के विस्तार पर स्पष्टीकरण दिया है कि "*क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी क्षेत्र का प्रकार है और आसपास के क्षेत्र ज्यादातर निजी भूमि ज़मीदारों के पास हैं और इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के विस्तार के लिए बहुत अधिक विस्तार नहीं बचा है। यह भी कहा गया था कि भौगोलिक रूप से, त्रिपुरा राज्य की विशेषता है कि इसमें लगभग 74% वन आच्छादन वाली छोटी घाटी के साथ पहाड़ी क्षेत्र हैं और गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए उपलब्ध भूमि की पूर्ण कमी है। इस बात को और दोहराया गया कि संरक्षित क्षेत्र के आसपास के अधिकांश क्षेत्र बड़ी बस्तियों के साथ निजी भूमि के अंतर्गत हैं और ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय विकास और आजीविका जरूरत के लिए आवश्यक है, जो क्षेत्र को देखते हुए काफी हैं और सार्वजनिक परामर्श के बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 10 से 50 मीटर प्रस्तावित किया गया है*।"।

(2) सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य और क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क,** सारणी **ख** और सारणी **ग** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) राजमार्ग;

(xii) त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xiii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के

अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

IndiaCode

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202

		में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी

IndiaCode

		निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
20.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
28.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
(i)	संबंधित जिला कलेक्टर, बीशलगढ़	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी-विज्ञानी	सदस्य;
(iii)	पशु संसाधन विकास विभाग बीशलगढ़ का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	वन्यजीव वार्डन, सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो **पैरा 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

IndiaCode

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/37/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

त्रिपुरा राज्य में सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का उत्तरी भाग गोपीनगर मौजा के अंतर्गत और चंद्रा नगर और कस्बा गांव पंचायत के अंतर्गत आता है। बीजोय नदी उत्तरी भाग में बहती है जो कि सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र में दर्शाया गया है। सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी भाग में घनी आबादी है। यहां यह प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए अभयारण्य सीमा से **10 मीटर** में रखा गया है।
उत्तर पश्चिमी सीमा	सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का उत्तर पश्चिमी भाग अंतर्गत बीशलगढ़ नगर पंचायत और रौतखलागांव पंचायत आते है। सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तर पश्चिम भाग में अत्यंत घनी आबादी है। यहां यह प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए अभयारण्य सीमा से **10 मीटर** में रखा गया है। यह क्षेत्र बीशलगढ़ मौजा के अंतर्गत आता है।
पश्चिमी सीमा	सेपाहीजाल वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का पश्चिमी भाग ब्रजापुर और उत्तर चरीलम गांव पंचायत के भाग के अंतर्गत आता है। सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पश्चिमी भाग में आबादी घनी है । यहां यह प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए अभयारण्य सीमा से

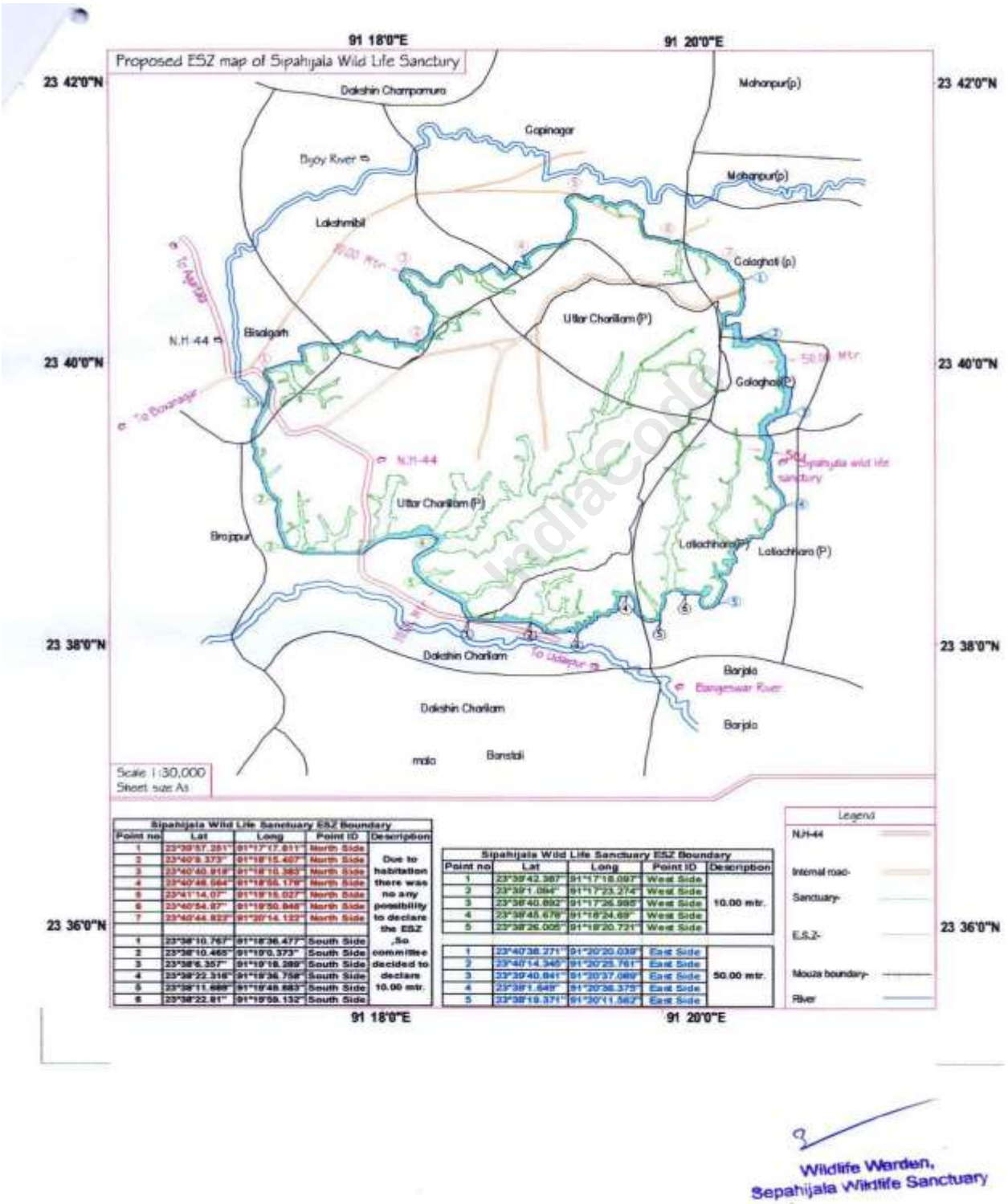
IndiaCode

	10 मीटर में रखा गया है। यह क्षेत्र ब्रजापुर और उत्तर, चरीलम मौजा के भाग के अंतर्गत आता है। रेलवे ट्रैक बिछाई गई है जो कि सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान की निकटतम पश्चिमी सीमा से लगभग 500 मीटर है।
दक्षिणी सीमा	सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दक्षिणी भाग लतियाचेर्रा, एवं चीकन ए डी सी ग्राम एवं उत्तर चरीलम मौजा के अंतर्गत आता है। सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के दक्षिणी भाग में जनसंख्या घनी है। यहां यह प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए अभयारण्य सीमा से **10 मीटर** में रखा गया है। यहां एक बाजार है जिसे चरीलम बाजार कहा जाता है जो कि अभयारण्य की निकटतम सीमा से लगभग 100 मीटर है।
पूर्वी सीमा	सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य-क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का पूर्वी भाग गोलाघाटी के भाग और लतियाचेर्रा मौजा के भाग और लतियाचेर्रा और चिकन ए डी सी ग्राम के अंतर्गत आता है। सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पूर्वी भाग में जनसंख्या विरल है। यहां यह प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए अभयारण्य सीमा से **50 मीटर** में रखा गया है।

IndiaCode

उपाबंध- IIक

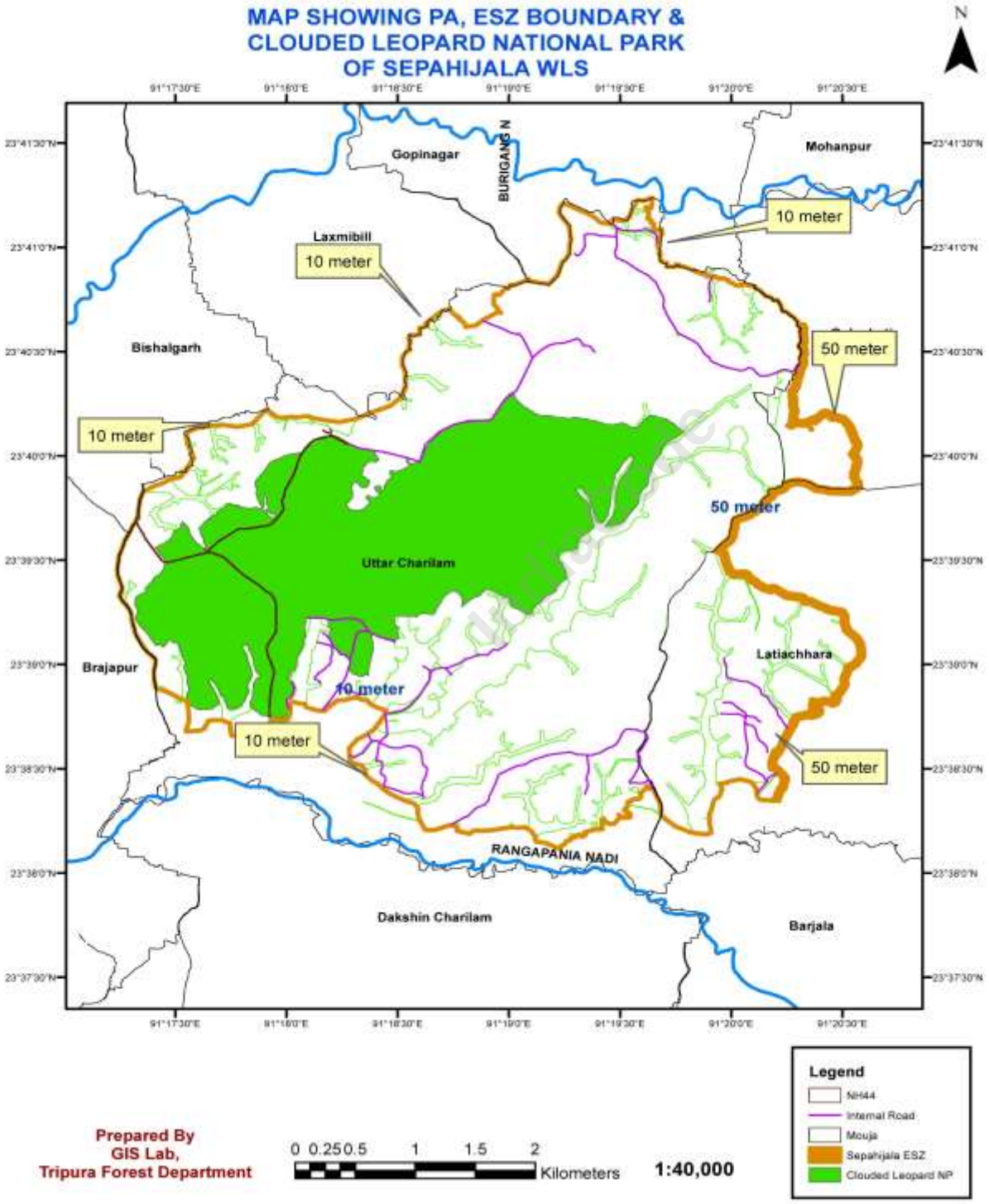
मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



Wildlife Warden,
Sepahijala Wildlife Sanctuary

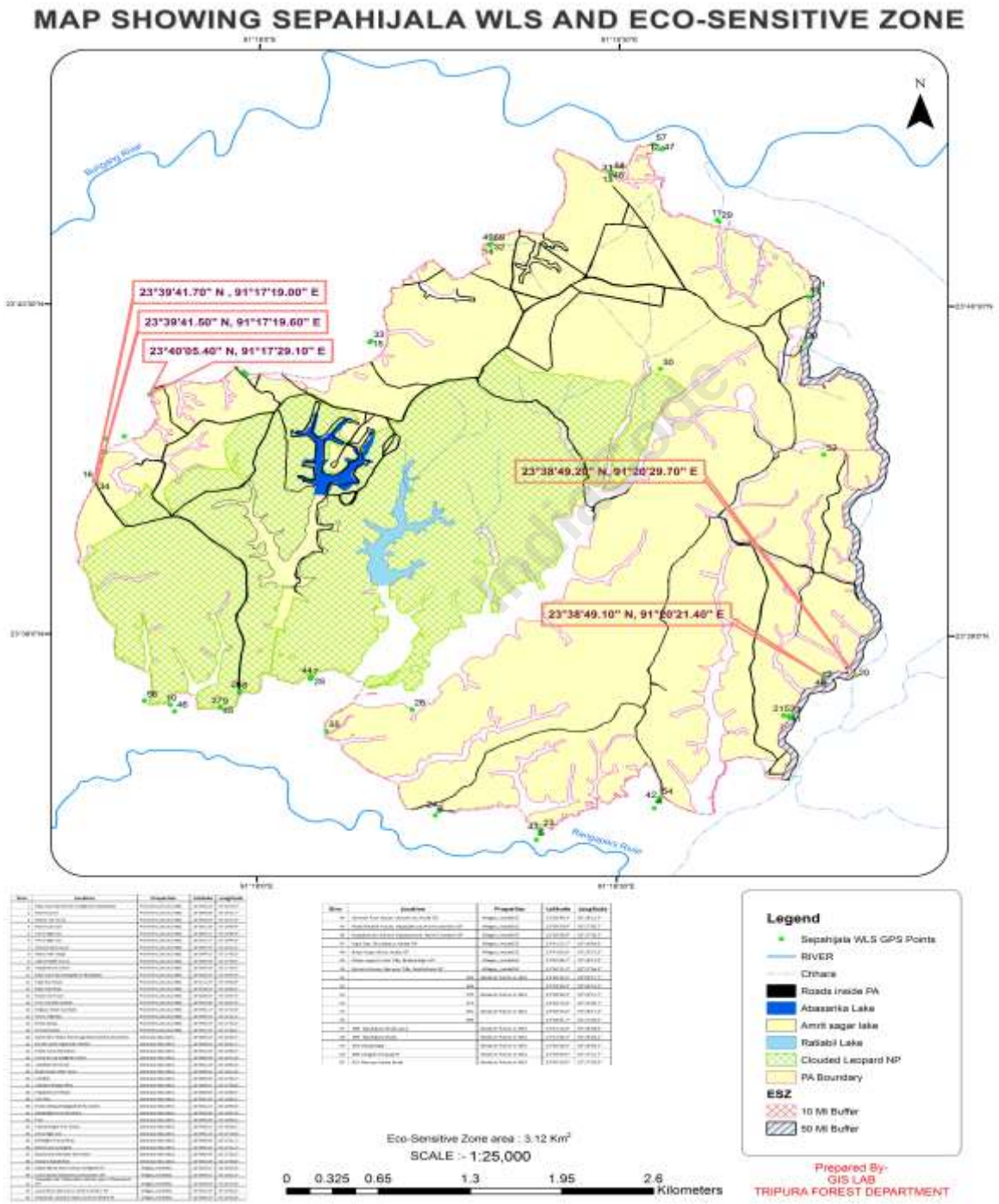
उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : मानचित्र पर चिन्हित सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	वन्यजीव अभयारण्य सीमा में यादृच्छिक बिंदु	जीपीएस निर्देशांक
1.	ब्रिक सोलिंग सड़क (गोलाघाटी सड़क)	उ 23.40-32.5' पू 091.20-17.7'
2.	दुखी राम ठाकुर पारा आंगनवाडी केंद्र, चीकनचेरा	उ 23.38-49.2' पू 091.20-29.7'
3.	मुसलिम पारा आंगनवाडी केंद्र	उ 23.38-38.2' पू 091-20-11.7'
4.	फकीरा मुरा एस/ बी स्कूल	उ 23.38-15.6' पू 091.19-40.7'
5.	पम्प हाउस गोलाघाटी कोलोनी	उ 23.38-06.9' पू 091.19-11.0'
6.	चारीलम XII स्कूल	उ 23.38-11.9' पू 091.18-45.5'
7.	इकबाल हाउस उत्तर मुरा	उ 23.38-48.5' पू 091.18-13.6'
8.	जुरकाबर	उ 23.38-44.4' पू 091.17-55.7'
9.	चारीलम रेंज ऑफिस	उ 23.38-40.1' पू 091.17-50.8'
10.	हापाजीयामुरा मस्जिद	उ 23.38-39.6' पू 091.18-38.7'
11.	लम्बा वृक्ष	उ 23.40-52.9' पू 091.19-55.1'
12.	ब्रीक सोलिंग, बृजागोपाल सिन्हा, कस्बा	उ 23.40-12.7' पू 091.19-40.5'
13.	धाजानगर, 4 सं. अभयारण्य	उ 23.41-05.8' पू 091.19-27.9'
14.	पोस्ट	उ 23.40-46.6' पू 091.18-58.1'
15.	चंद्रानगर पम्प हाउस	उ 23.40-20.1' पू 091.18-28.1'
16.	एन एच 44	उ 23.39-41.5' पू 091.17-19.6'
17.	बीशलगढ़ वन बिंदु	उ 23.39-49.6'

IndiaCode

		पू 091.17-21.7'
18.	विद्युत पोस्ट, जंगलिया	उ 23.39-53.3' पू 091.17-21.7'
19.	विद्युत पोस्ट नारायण दास हाउस	उ 23.40-05.4' पू 091.17-29.1'
20.	नोरायरा कबरखाना	उ 23.40-10.9' पू 091.17-56.9'

सारणी ख : सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के अतिरिक्त भू-निर्देशांक

अभयारण्य सीमा	
मुख्य विशेषताओं के नाम	**जी पी एस निर्देशांक**
ब्रीक सोलिंग सड़क (गोलाघाटी सड़क)	उ 23.40-32.5' पू 091.20-17.7'
दुखी राम ठाकुर पारा आंगनवाडी केन्द्र, चीकनचेरा	उ 23.38-49.2' पू 091.20-29.7'
मुसलिम पारा आंगनवाडी केन्द्र	उ 23.38-38.2' पू 091-20-11.7'
फकीरा मुरा एस/ बी स्कूल	उ 23.38-15.6' पू 091.19-40.7'
पम्प हाउस गोलाघाटी कालोनी	उ 23.38-06.9' पू 091.19-11.0'
चारीलम XII स्कूल	उ 23.38-11.9' पू 091.18-45.5'
इकबाल हाउस उत्तर मुरा	उ 23.38-48.5' पू 091.18-13.6'
जुरकाबर	उ 23.38-44.4' पू 091.17-55.7'
चारीलम रेंज ऑफिस	उ 23.38-40.1' पू 091.17-50.8'
हापाजीयामुरा मस्जिद	उ-23.38-39.6' पू 091.18-38.7'

IndiaCode

सारणी ग: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा		
क्र.सं.	**मुख्य विशेषताओं के नाम**	**जी पी एस निर्देशांक**
1.	ब्लैक टॉप सड़क- (दक्षिण गोलाघाटी से सेपाहीजाला)	उ 23.40-34.0' पू 091.20-19.9'
2.	विद्युत पोस्ट	उ 23.38-48.8' पू 091.20-21.7'
3.	मंटू मिया हाउस	उ 23.38-38.0' पू 091.20-13.9'
4.	विद्युत पोस्ट(2)	उ 23.38-12.8' पू 091.19-39.4'
5.	राजमार्ग सं 44	उ 23.38-04.1' पू 091-19-09.9'
6.	राजमार्ग सं 44	उ 23.38-10.7' पू 091.18-44.6'
7.	संतुश पॉल हाउस	उ 23.38-47.9' पू 091.18-13.2'
8.	मनू फकीर दरगा	उ 23.38-44.2' पू 091.17-55.5'
9.	अब्दुल खलैक हाउस	उ 23.38-39.9' पू 091.17-50.7'
10.	हापाजीमुरा स्कूल	उ 23.38-38.9' पू 091.17-39.3'
11.	ब्लैक टॉप सड़क गोलाघाटी से बीशलगढ़	उ 23.40-53.5' पू 091.19-54.6'
12.	काजल दास हाउस	उ 23.41-12.8' पू 091.19-40.9'
13.	ब्लैक टॉप सड़क	उ 23.41-06.3' पू 091.19-28.1'
14.	रोसीद मिया हाउस	उ 23.40-46.5' पू 091.18-57.6'
15.	पम्प ऑपरेटर, क्वाटर	उ 23.40-19.8' पू 091.18-27.8'

IndiaCode

16.	ब्रजापुर ब्लैक टॉप सड़क	उ 23.39-41.7' पू 091.17-19.0'
17.	एन एच-44	उ 23.39-49.7' पू 091.17-21.2'
18.	ब्रीक सोलिंग	उ 23.39-53.9' पू 091.17-26.5'
19.	ब्लैक टॉप सड़क, जंगालिया कलानी	उ 23.40-05.5' पू 091.17-28.8'
20.	नूर मिया हाउस	उ 23.40-11.4' पू 091.17-56.2'

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ सेपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य - क्लुडिड लैपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	**ग्रामों के नाम (पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत)**	**जी.पी.एस निर्देशांक**
1.	बबुल मरक, गरो कॉलोनी, गोलाघाटी -जीपी	उ23.40-20.1' पू 091.20-16.6'
2.	रबीद्र देब्बारमा, राम कृष्णा पारा, लतियाचेर्रा - जीपी	उ 23.39-37.0' पू 091.20-09.5'
3.	कुला चंद्रा देब्बारमा, चिकनचेरा - जीपी	उ 23.38-49.1' पू 091.20-21.4'
4.	नूरानालाई मिया, चिकनचेरा, मुसलिम पारा, चिकनचेर्रा - जीपी	उ 23.38-38.0' पू 091.20-12.8'
5.	जॉयनल मिया, फकीरामुरा, उत्तर चरीलम - जीपी	उ 23.38-14.6' पू 091-19-40.2'
6.	हारालालकर, गौतम कलानी, उत्तर चरीलम - जीपी	उ 23.38-05.9' पू 091.19-10.8'
7.	संतोष पॉल हाउस, उत्तर मुरा, अरालिया- जीपी	उ 23.38-48.3' पू 091.18-13.3'

IndiaCode

8.	अब्दुल खालक हाउस, हापाजियामुरा, उत्तर चरीलम - जीपी	उ 23.38-39.9' पू 091.17-50.7'
9.	हापाजियामुरा स्कूल, हापाजियामुरा उत्तर चरीलम - जीपी	उ 23.38-38.9' पू 091.17-39.3'
10.	काजल दास, घोषपारा, कस्बा - जीपी	उ23.41-12.7' पू 091.19-40.6'
11.	ब्रजा गोपा सिन्हा, कस्बा - जीपी	उ 23.41-05.8' पू 091.19-27.9'
12.	धाजा नगर, पुरबो टिल्ला, बैदयरदिघी - जीपी	उ23.40.46.7' पू 091.18-57 .9'
13.	नुरमिया हाउस, नाराउरा टिल्ला, रौथखोला - जीपी	उ23.40-11.4' पू 091.17-56.2'

IndiaCode

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान: पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

S.O.789(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2437 (E), dated the 24th July, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 24th July, 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Sepahijala Wildlife Sanctuary located in Sepahijala district of Tripura was declared on 2nd February, 1987 *vide* notification No F. 8(50)/For-WL/86/55164 dated 2nd February 1987 under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 covering an area of 18.54 square kilometers. Within the core area of the Sanctuary, an area of 5.08 square kilometer was declared as Clouded leopard National Park *vide* notification No F.8 (196)/For-WL-2004INP/33856-86 dated 24th January, 2008. Now all restrictions have been in implied with the Sanctuary and National Park and no activities by the local public or anybody is allowed there unless permitted by the Chief Wildlife Warden, Tripura as per the provisions of the Wildlife (Protection), Act 1972 (29 of 1986);

AND WHEREAS, the Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park has varieties of flora and fauna e.g. Phayre's langur and clouded leopard besides presence of Rhesus macaque, pig-tailed macaque, capped langur, barking deer, wild boar, jackal, porcupine, etc. Four species of civet, leopard cat, jungle cat, pangolin, slow loris, large Indian civet, small India civet, common palm civet, Himalayan palm civet, flying squirrel, crab eating mongoose, yellow throated marten, Indian monitor lizard etc. Apart from the above birds like imperial pigeon, kalij pheasant, dongos, red jungle fowl, pied hornbill, spotted dove, kingfisher, parakeet, Indian roller, kite, whistling teals, open bill stork, cormorant, red wattled lapwing etc. are also found;

AND WHEREAS, about 124 bird species have been identified at Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park and the Protected Areas has large number of water bodies covering an area of 120.50 ha (52 nos.) out of which Amrit sagar (25.35 ha) and Ratiabill (20.75 ha) are the large sized which adds to aquatic bio-diversity. The flora consists of 142 species of trees, 55 species of shrubs, 90 species of herbs, 35 species of climbers, 11 species of epiphytes, 10 species of pteridophytes, 7 species of bamboos. Some example of major species are *Shorea robusta, Cassia species, Artocarpus chaplasa, Schima wallichii, Syzygium curranii, Lagerstroemia* species*, Terminalia* species*, Albezia species, Mallotus, Dillenia, Bauhinia species, Ficusspeies, Linnea species, Dipterocarpus tarbinatus, Vitex, Alstonia scholaris, Mesua ferrea, Bombax ceiba,* etc;

AND WHEREAS, the Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park is rich in bio-diversity values including bio-geographical representatives, endemism, species richness, geo-morphological characteristics and unique land use practices including aesthetic and cultural values and the Sanctuary has rare, endangered and threatened (RET) species examples include clouded leopard *(Neofelis nebulosa),* horrnbil *(Anthracoceros coronatus),* monitor lizard *(Varanus bengalensis),* porcupine *(Antherurusmecrourus assamensis),* civets *(Himalayan palm civets),* etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of the Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 10 metres (in North, North-western, West and South) to 50 meters (Eastern side) around the boundary of Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park, in Sepahijala District in the State of Tripura as the Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 10 metres to 50 metres around the boundary of Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is 3.12 square kilometres. State Government made a clarification on area and extent of Eco-sensitive Zone that *"the area is an elevation rolling hill terrain type and adjoining areas are mostly owned by private land owners and therefore not much scope is left for extension of the Eco-sensitive Zone area. It was also stated that geographically, Tripura state is characterized by hill areas interspersed with small valley*

covering approximately 74% forest cover and there is absolute scarcity of land available for non-forestry purpose. It was further reiterated that most areas surrounding the Protected Area are under private land with large habitations and the need for local development and livelihood needs for such areas are immense considering the terrain and the 10 to 50 meters Eco-sensitive Zone extent has been proposed after public consultation.".

(2) The boundary description of Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

(4) The list of geo-coordinates of the boundary of Sepahijala Wildlife Sanctuary and Clouded leopard National Park and Eco-sensitive Zone are given in Table **A**, Table **B** and Table **C** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Highways;
(xii) Tripura State Pollution Control Board; and
(xiii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

IndiaCode

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid wastes disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Wastes.– Bio-Medical Wastes Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Wastes disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic wastes management.- The plastic wastes management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Wastes Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition wastes management.- The construction and demolition wastes management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Wastes Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

India Code

(13) E-wastes.- The e - wastes management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Wastes Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of the Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric	Prohibited.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	project.	
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per the classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-	Regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	Timber Forest produce.	
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
33.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
34.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment Act, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Concerned District Collector, Bishalgarh	Chairman, ex officio;
(ii)	An Ecologist in the field to be nominated by State Government	Member;
(iii)	A representative of Animal Resource Development Department Bishalgarh	Member;
(iv)	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(v)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	A representative from State Public Works Department	Member;
(vii)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(viii)	Wildlife Warden, Sepahijala Wildlife Sanctuary	Member-Secretary.

IndiaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number, S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/37/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

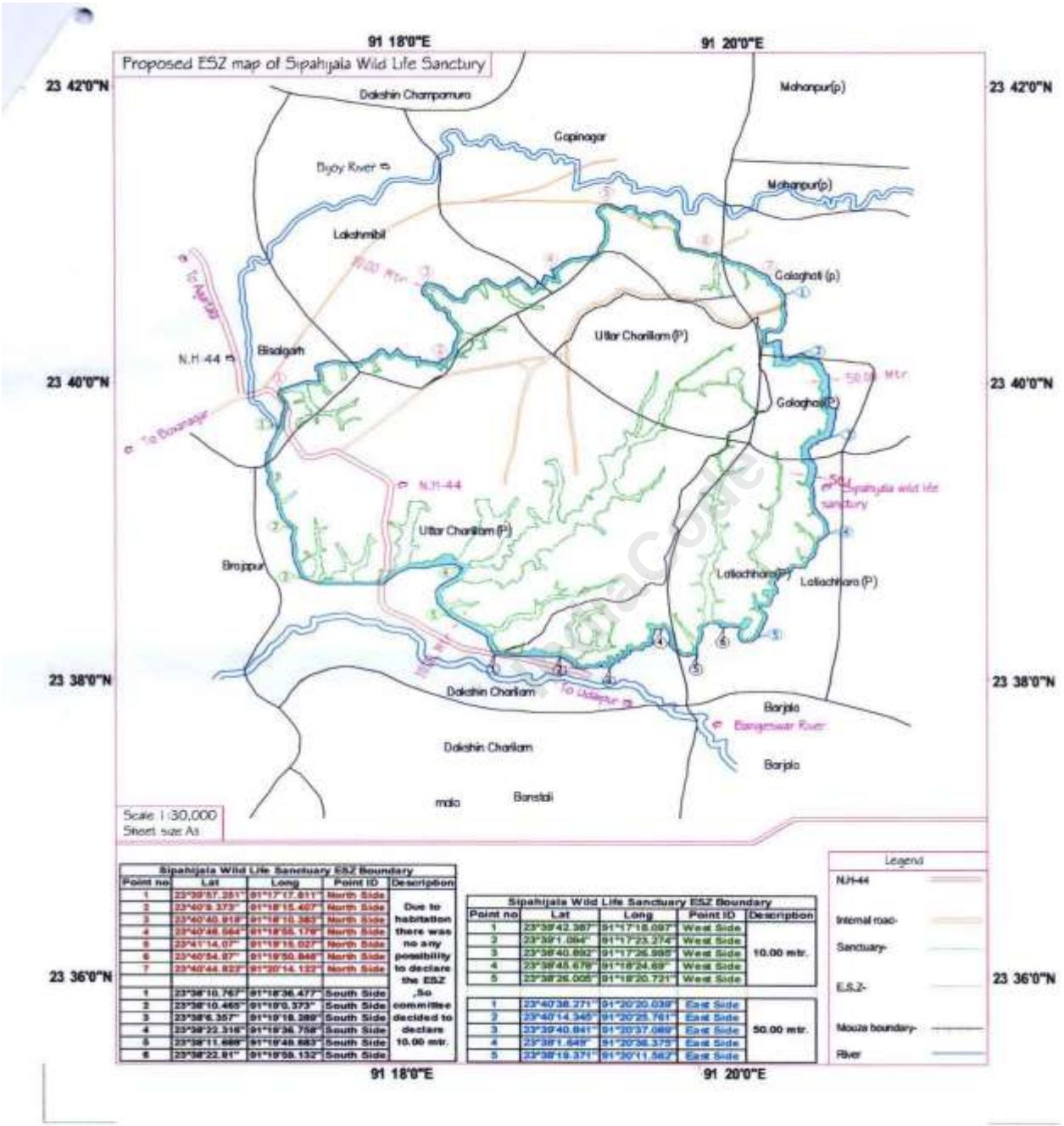
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF SEPAHIJALA WILDLIFE SANCTUARY - CLOUDED LEOPARD NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE TRIPURA

North	Northern side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park falls under Gopinagar mouja and under Chandra nagar and Kasba Gao Panchayat. River Bijoy flows in the northern side which has been 'shown in the Map of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park. Population in Northern side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park are densely populated. Here it is kept **10 meters** from sanctuary boundary for proposed Eco-sensitive Zone.
North Western Boundary	North Western side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park falls under Bishalgarh Nagar Panchayat and Routkhalagao panchayat. Population in North western side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park is highly dense populated. Here it is kept **10 meters** from sanctuary boundary for proposed Eco-sensitive Zone. The area is falls under Bishalgarh Mouja.
Western boundary	Western side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park falls under Brajapur and part of North Charilam Gao Panchayat. Population in Western side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park is densely populated. Here it is kept **10 meters** from sanctuary boundary for proposed Eco-sensitive Zone. The area is falls under Brajapur and part of North Chari lam mouja. Railway track has been laid which is about 500meters from the nearest western boundary of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park.
Southern boundary	Southern side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park falls under Latiacherra, and Chickan ADC village and North Charilam Gram Panchayat and Latiacherra mouja and North Charilam mouja. Population in Southern side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park is densely populated. Here it is kept **10 meters** from sanctuary boundary for proposed Eco-sensitive Zone. There is a market called chari lam bazaar which is about 100 meters from the nearest Protected Areas boundary.
Eastern boundary	Eastern side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park falls under part of Golagaghati and part of Latiacherramouja and under Latiacherra and Chickan ADC village. Population in Eastern side of proposed Eco-sensitive Zone of Sepahijala Wildlife Sanctuary - Clouded leopard National Park are sparsely populated. Here it is kept **50 meters** from Sanctuary boundary for proposed Eco-sensitive Zone.

ANNEXURE- IIA

MAP OF SEPAHIJALA WILDLIFE SANCTUARY - CLOUDED LEOPARD NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



Sipahijala Wild Life Sanctuary ESZ Boundary

Point no	Lat	Long	Point ID	Description
1	23°39'57.251"	91°17'17.811"	North Side	Due to habitation there was no any possibility to declare the ESZ ,So committee decided to declare 10.00 mtr.
2	23°40'9.373"	91°18'15.407"	North Side	
3	23°40'40.918"	91°18'10.383"	North Side	
4	23°40'48.564"	91°18'55.179"	North Side	
5	23°41'14.07"	91°19'15.027"	North Side	
6	23°40'54.97"	91°19'50.848"	North Side	
7	23°40'44.823"	91°20'14.132"	North Side	
1	23°38'10.767"	91°18'36.477"	South Side	
2	23°38'10.465"	91°19'0.373"	South Side	
3	23°38'6.357"	91°19'18.289"	South Side	
4	23°38'22.316"	91°19'36.758"	South Side	
5	23°38'11.688"	91°19'48.883"	South Side	
6	23°38'22.81"	91°19'59.132"	South Side	

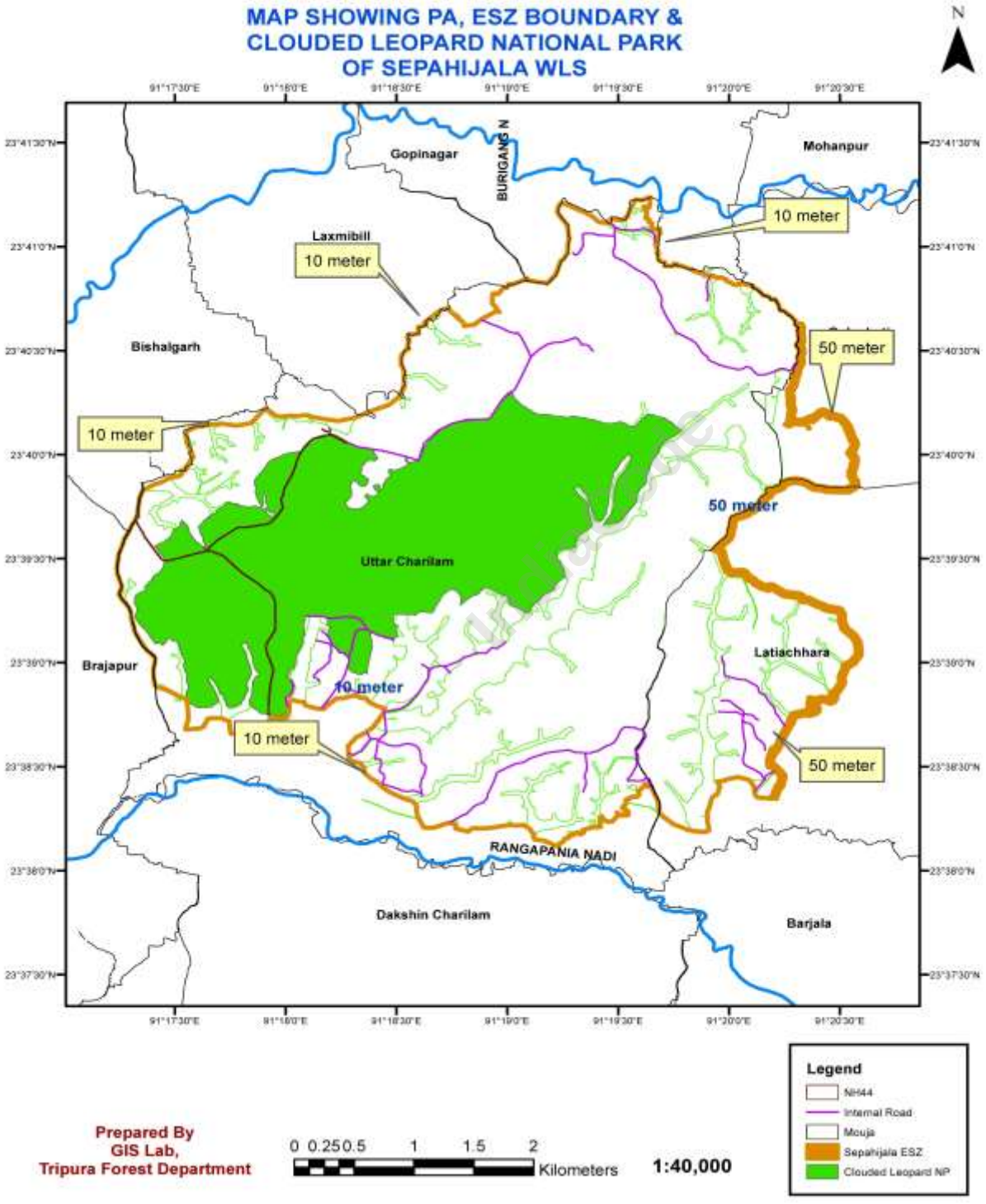
Sipahijala Wild Life Sanctuary ESZ Boundary

Point no	Lat	Long	Point ID	Description
1	23°39'42.387"	91°17'18.097"	West Side	10.00 mtr.
2	23°39'1.094"	91°17'23.274"	West Side	
3	23°38'40.692"	91°17'26.995"	West Side	
4	23°38'45.678"	91°18'24.69"	West Side	
5	23°38'26.005"	91°18'20.731"	West Side	
1	23°40'38.271"	91°20'20.039"	East Side	50.00 mtr.
2	23°40'14.345"	91°20'25.761"	East Side	
3	23°39'40.841"	91°20'37.089"	East Side	
4	23°39'1.649"	91°20'36.375"	East Side	
5	23°38'19.371"	91°20'11.562"	East Side	

Wildlife Warden,
Sepahijala Wildlife Sanctuary

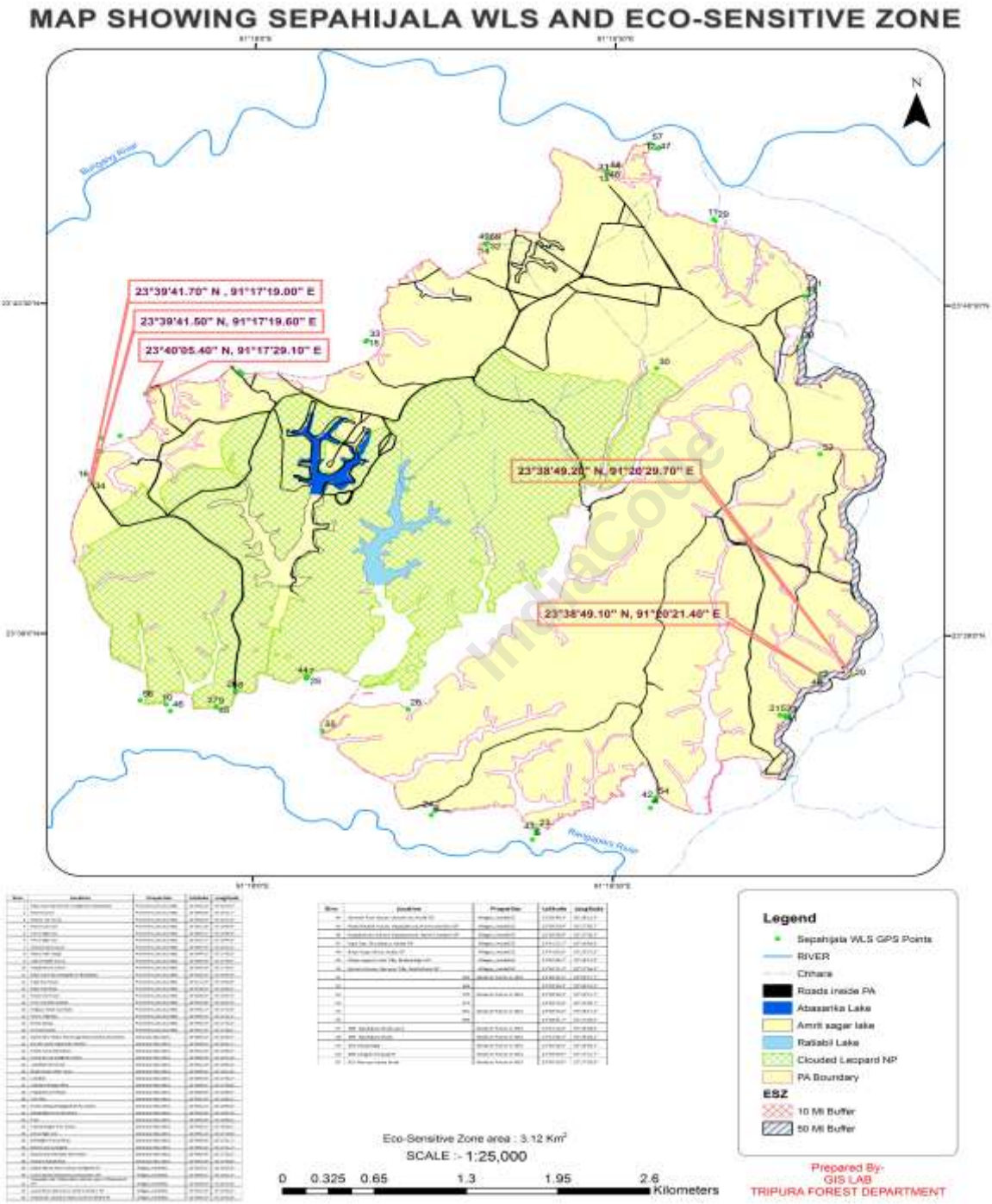
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SEPAHIJALA WILDLIFE SANCTUARY - CLOUDED LEOPARD NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SEPAHIJALA WILDLIFE SANCTUARY - CLOUDED LEOPARD NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SEPAHIJALA WILDLIFE SANCTUARY - CLOUDED LEOPARD NATIONAL PARK MARKED ON MAP

Sl No	Random Points in Wildlife Sanctuary Boundary	GPS Reading
1.	Bricks soling Road (Golaghati Road)	N 23.40-32.5' E 091.20-17.7'
2.	Dukhi Ram Thakur Para Anganwary Kendra, Cikanchera	N 23.38-49.2'

		E 091.20-29.7'
3.	Muslim para Anganwary Kendra	N 23.38-38.2' E 091-20-11.7'
4.	Fakira mura S/B School	N 23.38-15.6' E 091.19-40.7'
5.	Pump House Golaghati Koloni	N 23.38-06.9' E 091.19-11.0'
6.	Charilam XII School	N 23.38-11.9' E 091.18-45.5'
7.	Ekbal House Uttar mura	N 23.38-48.5' E 091.18-13.6'
8.	Jurkabar	N 23.38-44.4' E 091.17-55.7'
9.	Charilam Range Office	N 23.38-40.1' E 091.17-50.8'
10.	Hapajiamura Masjid	N 23.38-39.6' E 091.18-38.7'
11.	Tall Tree	N 23.40-52.9' E 091.19-55.1'
12.	Bricks Soling, Brajagopal Sinha, Kasba	N 23.40-12.7' E 091.19-40.5'
13.	Dhajanagar, 4 no Sanctuary	N 23.41-05.8' E 091.19-27.9'
14.	Post	N 23.40-46.6' E 091.18-58.1'
15.	Chandranagar Pump House	N 23.40-20.1' E 091.18-28.1'
16.	NH44	N 23.39-41.5' E 091.17-19.6'
17.	Bishalgarh Forest Drop	N 23.39-49.6' E 091.17-21.7'
18.	Electric Post, jangalia	N 23.39-53.3' E 091.17-21.7'
19.	Electric Post Narayan Das's House	N 23.40-05.4' E 091.17-29.1'
20.	Norayra Kabarkhala	N 23.40-10.9' E 091.17-56.9'

IndiaCode

TABLE B: ADDITIONAL GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SEPAHIJALA WILDLIFE SANCTUARY - CLOUDED LEOPARD NATIONAL PARK

Sanctuary Boundary	
Name of Prominent Features	**GPS Reading**
Bricks soling Road (Golaghati Road)	N 23.40-32.5' E 091.20-17.7'
Dukhi Ram Thakur Para Anganwary Kendra, Cikanchera	N 23.38-49.2' E 091.20-29.7'
Muslim para Anganwary Kendra	N 23.38-38.2' E 091-20-11.7'
Fakira mura S/B School	N 23.38-15.6' E 091.19-40.7'
Pump House Golaghati Koloni	N 23.38-06.9' E 091.19-11.0'
Charilam XII School	N 23.38-11.9' E 091.18-45.5'
Ekbal House Uttar mura	N 23.38-48.5' E 091.18-13.6'

Jurkabar	N 23.38-44.4' E 091.17-55.7'
Charilam Range Office	N 23.38-40.1' E 091.17-50.8'
Hapajiamura Masjid	N-23.38-39.6' E 091.18-38.7'

TABLE C: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Eco-sensitive Zone Boundary		
SL No	**Name of Prominent features**	**GPS Reading**
1.	Black Top Road- (South Golaghati to Sepahijala)	N 23.40-34.0' E 091.20-19.9'
2.	Electric Post	N 23.38-48.8' E 091.20-21.7'
3.	Mantu Mia's House	N 23.38-38.0' E 091.20-13.9'
4.	Electric Post (2)	N 23.38-12.8' E 091.19-39.4'
5.	44 no High way	N 23.38-04.1' E 091-19-09.9'
6.	44 no High way	N 23.38-10.7' E 091.18-44.6'
7.	Santush Paul House	N 23.38-47.9' E 091.18-13.2'
8.	Manu Fakir Darga	N 23.38-44.2' E 091.17-55.5'
9.	Abdul Khalek House	N 23.38-39.9' E 091.17-50.7'
10.	Hapajiamura School	N 23.38-38.9' E 091.17-39.3'
11.	Black Top Road Golaghati to Bishalgarh	N 23.40-53.5' E 091.19-54.6'
12.	Kajal Das House	N 23.41-12.8' E 091.19-40.9'
13.	Black Top Road	N 23.41-06.3' E 091.19-28.1'
14.	Rosid mia House	N 23.40-46.5' E 091.18-57.6'
15.	Pump Operator, Quarter	N 23.40-19.8' E 091.18-27.8'
16.	Brajapur black top Road	N 23.39-41.7' E 091.17-19.0'
17.	NH-44	N 23.39-49.7' E 091.17-21.2'
18.	Brick Soling	N 23.39-53.9' E 091.17-26.5'
19.	Black Top Road, Jangalia Kalani	N 23.40-05.5' E 091.17-28.8'
20.	Nur Mia's House	N 23.40-11.4' E 091.17-56.2'

IndiaCode

ANNEXURE IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SEPAHIJALA WILDLIFE SANCTUARY - CLOUDED LEOPARD NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

SL No	Name of Villages (Inside Eco-sensitive Zone)	GPS Reading
1.	Babul Marak, Garo Colony, Golaghati - GP	N 23.40-20.1' E 091.20-16.6'
2.	Rabindra Debbarma, Ram Krishna Para, Latiacherra - GP	N 23.39-37.0' E 091.20-09.5'
3.	Kula Chandra Debbarma,Chikanchera - GP	N 23.38-49.1' E 091.20-21.4'
4.	Nuranalai Mia, Chikanchera, Muslim Para, Chikancherra - GP	N 23.38-38.0' E 091.20-12.8'
5.	Joynal Mia,Fakiramura, North Charilam - GP	N 23.38-14.6' E 091-19-40.2'
6.	Haralal Kar, Goutam Kalani, North Charilam -GP	N 23.38-05.9' E 091.19-10.8'
7.	Santosh Paul House, Uttarmura, Aralia - GP	N 23.38-48.3' E 091.18-13.3'
8.	Abdul Khalak House, Hapajiamura, North Charilam - GP	N 23.38-39.9' E 091.17-50.7'
9.	Hapajiamura School, Hapajiamura, North Charilam - GP	N 23.38-38.9' E 091.17-39.3'
10.	Kajal Das, Ghoshpara, Kasba - GP	N 23.41-12.7' E 091.19-40.6'
11.	Braja Gopa Sinha, Kasba - GP	N 23.41-05.8' E 091.19-27.9'
12.	Dhaja Nagar, Purbo Tilla, Baidyardighi - GP	N 23.40.46.7' E 091.18-57 .9'
13.	Nurmia House, Naraura TilIa, Rauthkhola - GP	N 23.40-11.4' E 091.17-56.2'

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.20 17:36:27 +05'30'